<u>पंचायत आम चुनाव</u>

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर–17,
पंचकुला।

क0रा0नि0आ0/3ई–II/2015/6398-6418 दिनांकः 29/06/2015

सेवा में

राज्य के उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं0)।

विषयः– पंचायत आम चुनाव–2015 की तैयारी बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा राज्य में पांचवे पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 में करवाए जाने प्रस्तावित है। चुनावों की तिथिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरंत बाद ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाना सम्भावित है, इसलिए इन आम चुनावों के लिए पूरी तरह से कमर कस ली जाए तथा आप अपने जिले की प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरूस्त करते हुये चुनाव की प्रारम्भिक तैयारियां शुरू कर दें तथा साथ ही आपको निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किए जाने बारे भी अनुरोध किया जाता हैः–

1. अपने जिले में उपलब्ध कर्मचारियों जिन्हें मतदान अधिकारी/पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की चुनाव के दौरान चुनाव कार्य हेतू नियुक्त किया जाना है उनका पोलिंग बूथ की संख्या तथा रिजर्व (5%) के आधार पर स्टाफ का अनुमान लगा लिया जाये। इसके लिए कर्मचारियों/अधिकारियों की सूचना आपके जिले के सम्बन्धित विभागों आदि से प्राप्त कर ली जाए। यह भी प्रयास किया जाये कि चुनाव में अनुभवी अधिकारियों एंव कर्मचारियों को ही चुनाव डयूटी पर लगाया जाए।
2. सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव कार्य/मतगणना के कार्य बारे समय पर प्रशिक्षित कर लिया जाये।
3. सभी आर0ओ0/ए0आर0ओ0 को सम्बन्धित अथारिटी द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के वार्डो के लिए आरक्षण आदेशों की प्रति नामांकन प्राप्ति से पूर्व उनको उपलब्ध करवाई जाये ताकि उन आदेशों के अनुसार आरक्षित वार्डो के नामांकन पत्र प्राप्त किये जा सकें ताकि इस कार्य में कोई चूक न हो।
4. यह सुनिश्चित कर लें कि चुनाव सामग्री/ई0वी0एम0/मतपेटी इत्यादि आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों।
5. आयोग द्वारा सरपंच व सदस्य जिला परिषद के लिए चुनाव ई0वी0एम0 से करवाये जाने प्रस्तावित है जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों को ई0वी0एम0 की चुनाव से पूर्व ट्रेनिंग दी जाये ।

6. जिला पंचकूला व रेवाड़ी में आयोग द्वारा सरपंच, सदस्य जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव ई0वी0एम0 से करवाये जाने प्रस्तावित है । जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव Multipost EVM से करवाये जाने है जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव से पूर्व ट्रेनिंग दी जाये।

7. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की समुचित व्यवस्था हरियाणा पंचायती राज नियम, 1994 के नियम 20 के तहत कर ली जाये। क्योंकि पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव पूर्व की भांति एक साथ करवाये जाने हैं। मतदान केन्द्रों की सूची नियमानुसार प्रकाशित की जाये।

8. संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान भी कर ली जाये और उनकी सुरक्षा बारे पुलिस विभाग से मिलकर अभी से आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि मतदान केन्द्रो पर हिंसा, लूट, बूथ कपैचरिगं इत्यादी की घटना ना हो इसके अतिरिक्त सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा बलों, रोशनी, पानी इत्यादी की समुचित व्यवस्था भी की कर ली जाये।

9. चुनाव के लिए जितनी गाड़ियों/जीपों की आवश्यकता हो, अन्य विभागों से प्राप्त करने के लिए सूची तैयार कर ली जाये।

10. नियुक्त किये जाने वाले मतदान/पीठासीन अधिकारियों तथा रिजर्व (पांच प्रतिशत) में रखे जाने वाले उक्त अधिकारियों को चुनाव सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित होगा। अतः उक्त प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक तैयार कर लिए जाएं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने जिले के रिटरनिंग अधिकारियों/सहायक रिटरनिंग अधिकारियों, उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के कर्मचारियों को ओर ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को जो कि अन्य विभागों से उक्त मतदान के लिए नियुक्त मतदान/पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने में सक्षम हों और यह प्रशिक्षक बाद में मतदान के लिये नियुक्त पीठासीन अधिकारियों/कर्मचारियों को उचित समय पर प्रशिक्षण देवें।

11. जिला निर्वाचन कार्यालय से ई0वी0एम0 के मास्टर प्रशिक्षकों की सूची प्राप्त कर ली जाये ताकि ई0वी0एम0 के प्रशिक्षण हेतू एंव ई0वी0एम0 की तैयारी के समय इन मास्टर ट्रेनर की आवश्यकता अनुसार डयूटी लगाई जा सके।

12. वांछित चुनाव सामग्री की मांग आयोग को समय रहते भेजी जाए।

13. पंचायत आम चुनाव के दौरान संवेदनशील/अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विडियोग्राफी की आवश्यकता हो तो इसके लिए आयोग की अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

14. इसके अतिरिक्त आप से अनुरोध किया जाता है कि आर0ओ0,ए0आर0ओ0 तथा पी0ओ0,ए0पी0ओ0 एवं पोलिंग आफिसर तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी की डयूटी उनके पैतृक गांव/वार्ड में ना लगाई जाये ।

15. जिलों में उपलब्ध सभी कर्मचारियों के डाटाबेस में से वास्तविक लगाए जाने वाले कर्मचारियों के प्रथम स्तर की रैण्डमाईजेशन में उनका ब्लाक अलाट कर

दिया जाये। चुनाव में मतदान पार्टियों को भेजते हुये समय पर पुनः रैण्डमाईजेशन करके उसी दिन उनका बूथ अलाट कर दिया जाये । कृप्या यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चुनाव की तिथियों से पूर्व किसी भी पीठासीन/पोलिंग अधिकारी को उसकी डयूटी के स्थान का पता न लगने पाये।

16. आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीन सभी जिला चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वह राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को मैडिकल आधार पर अवकाश केवल अति आवश्यक हो तभी सिफारिश करें। जहां तक सम्भव हो इस अवकाश के लिए प्रमाणपत्र केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाये, क्योंकि चुनाव डयूटी से बचने के लिए कई अधिकारी/कर्मचारी इस सुविधा का नाजायज लाभ उठाने की चेष्ठा करते है।

17. मतगणना केन्द्रो की स्थापना करने से पहले उनकी पहचान कर ली जाये कि वह स्थान मतगणना के लिए उचित है और मतगणना के लिए समुचित व्यवस्था की जाये, जहां तक बहुत ही आवश्यक हो तो मतगणना केन्द्रों मे बैरीकेट लगाये जायें। चुनाव से सम्बन्धित सभी आवश्यक तैयारियां समय पूर्व पूर्ण कर ली जायें।

18. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी डयूटी चुनाव कार्य हेतू लगाई जाये और वह चुनाव डयूटी पर हाजिर नही आते है तो उनके विरूद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 185 के तहत निर्वाचन से संबंद्ध में सरकारी कार्य का उल्लंधन करने के आरोप में सख्त कार्यवाही की जाये और आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एस0ई0सी0/3ई-।।/2010/737 दिनांक 23.03.2010 के तहत भी कार्यवाही की जाये।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि चुनाव से सम्बन्धित सभी आवश्यक तैयारियां समय पूर्व हरियाणा पंचायती राज अधिनियम/नियमों तथा समय-समय पर आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार पूर्ण कर ली जायें।

उक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये।

भवदीय

25/06/15

(निशु सिंगल)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा।
Email id: secy.sec@hry.nic.in

25/6/15